

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला – बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्र.क.क.मांक-436 / 2012
संस्थित दिनांक-01 / 06 / 2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

विरुद्ध

संजय कन्नौजे पिता चरणलाल कन्नौजे, उम्र-26 वर्ष,
निवासी-वार्ड नं. 17 दुगलटोला, बिठली रोड़ गुदमा, थाना रूपझर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियुक्त

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-14 / 10 / 2014 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक-25.02.2012 को समय रात 8:00 बजे स्थान ग्राम मझगांव में बेरियर के पास लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-एम.पी. 50/बी.सी.0556 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए, उक्त वाहन को पेड़ से टकरा दिया, जिसमें बैठे आहत दयाराम को घोर उपहति कारित किया।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक-25.02.2012 को समय रात 8:00 बजे स्थान ग्राम मझगांव में बेरियर के पास लोकमार्ग पर बोलेरो वाहन क्रमांक-एम.पी.50/बी.सी.0556 के चालक ने वाहन को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए आम के पेड़ टकरा दिया, जिससे वाहन में बैठे आहत दयाराम को काफी चोट लगी। उक्त घटना की सूचना अरुण मानेश्वर के द्वारा वाहन चालक के विरुद्ध की गई, उक्त रिपोर्ट पर पुलिस चौकी सालेटेकरी में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-0/2012, अंतर्गत धारा-279, 337, 338 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, जिस पर थाना बिरसा द्वारा असल कायमी करते हुए आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-22/2012, धारा-279, 337 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत दयाराम का मुलाहिजा करवाया गया था, पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आहत दयाराम की चिकित्सीय एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार आहत को अस्थि भंग होने से धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा किया गया एवं चालक के पास वाहन चलाने का वैध लायसेंस न होने से मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181 का इजाफा किया। पुलिस

द्वारा अनुसंधान उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी दिनांक-25.02.2012 को समय रात 8:00 बजे स्थान ग्राम मझगांव में बेरियर के पास लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-एम.पी. 50/बी.सी.0556 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर पेड़ से टकरा दिया, जिसमें बैठे आहत दयाराम को घोर उपहति कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत दयाराम (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय वह बालाघाट से बोलेरो वाहन किराये से लेकर सालेटेकरी जा रहा था। उक्त बोलेरो वाहन में उसके अलवा अन्य लोग भी बैठे थे। घटना के समय आरोपी वाहन को नहीं चला रहा था। उक्त वाहन के चालक ने सालेटेकरी आर.टी.ओ. नाके के पास वाहन को पेड़ से टकरा दिया था, जिससे उसकी दांयी आंख, माथे व छाती पर चोट लगी थी। वह चालक का नाम नहीं जानता। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि दुर्घटना कारित बोलेरो वाहन के चालक ने अपना नाम संजय कन्नौजे बताया था तथा उसे भी चोट आयी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसकी याददाश्त कम होने से वह घटना के बारे में पूरी-पूरी जानकारी नहीं दे पा रहा है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना कारित वाहन के स्वामी ने अपना नाम संजय कन्नौजे बताया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने गाड़ी के चालक का नाम नहीं पूछा था। साक्षी ने आगे यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय वह वाहन में सो रहा था तथा घटना कैसे व कब घटित हुई, उसे पता नहीं चला। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण साक्षी के द्वारा अपनी साक्ष्य में न तो आरोपी की पहचान दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में की गई है और न ही उक्त वाहन के चालक के द्वारा घटना के समय वाहन को तेजी, लापरवाही या उतावलेपन से चलाये जाने के कथन किये गये हैं। साक्षी के कथन से केवल इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उसे घटना के समय वाहन दुर्घटना में चोटे आयी थी।

6— सूचनाकर्ता अरुण मानेश्वर (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय वह चैक पोस्ट सालेटेकरी में टहलने के लिये गया था

उसी समय बैहर तरफ से एक बोलेरो वाहन आया और पेड़ से टकरा गया। उक्त वाहन के चालक आरोपी और एक अन्य व्यक्ति को चोट आयी थी। उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 पुलिस चौकी सालेटेकरी में किया था। पुलिस ने घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 उसकी निशानदेही पर तैयार किया था। पुलिस को उसने बोलेरो वाहन का नम्बर बताया था, जो उसे याद नहीं है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर पुलिस द्वारा उसके सामने दुर्घटना कारित वाहन को जप्त किये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा आवाज आने पर दुर्घटना ग्रस्त वाहन को देखा गया था, इसलिये वह यह नहीं बता सकता कि उस समय गाडी कौन चला रहा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि दुर्घटना ग्रस्त वाहन की गति नहीं बता सकता और न ही दुर्घटना गाडी के ब्रेक फेल होने या यांत्रिकी खराबी होने के कारण हुई हो तो वह नहीं बता सकता। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपी की दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में पहचान तो की है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय वाहन कौन चला रहा था, वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह संदेह हो जाता है कि उसने घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में आरोपी को देखा था। यह भी उल्लेखनीय है कि इस साक्षी ने दुर्घटना कारित वाहन के चालक के द्वारा कथित वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाये जाने के कथन भी नहीं किये हैं।

7- जितेन्द्र (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय वह सालेटेकरी चौक तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक बोलेरो आम के पेड़ से टकरा गई। उक्त दुर्घटना में आरोपी और एक व्यक्ति को चोट आयी थी। पुलिस ने उसके सामने उक्त दुर्घटना कारित वाहन को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने आवाज आने पर मौके पर जाकर देखा तब वाहन पेड़ से टकराकर खड़ा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि दुर्घटना कारित वाहन किस गति से चल रहा था और पेड़ से कैसे टकराया। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटना के समय चालक को नहीं देख पाया था। साक्षी का स्वतः कथन है कि दुर्घटना के बाद वह वाहन के पास गया था तो उसने आरोपी को वाहन के ड्राइवर सीट पर बैठे देखा था। इस प्रकार साक्षी के द्वारा घटना के समय आरोपी को दुर्घटना कारित वाहन चलाते हुये देखे जाने की पुष्टि तो नहीं की गई है, किन्तु घटना के तत्काल पश्चात् मौके पर पहुंचने पर उसने वाहन चालक की सीट पर आरोपी को घायल अवस्था में बैठे हुये देखे जाने की पुष्टि की है। उक्त तथ्य से यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि आरोपी ही दुर्घटना कारित वाहन का चालन कर रहा था, किन्तु दाण्डिक मामले में अधिसंभावना के आधार पर किसी तथ्य को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। उक्त पारिस्थितिक साक्ष्य इस प्रकृति की नहीं मानी जा सकती कि आरोपी के अलावा अन्य व्यक्ति के अपराध में शामिल होने की गुंजाईश न हो। इस कारण प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में मात्र पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि आरोपी

के द्वारा ही दुर्घटना कारित वाहन का चालन किया जा रहा था।

9— अनुसंधानकर्ता अधिकारी सुरेश विजयवार (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—25.02.2012 को पुलिस चौकी सालेटेकरी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने अरुण मानेश्वर की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन 0/12, धारा 279, 337 भा. द.वि. के अंतर्गत लेख किया गया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन को असल नम्बरी हेतु थाना बिरसा भेजा गया था। विवेचना के दौरान दिनांक—26.02.2012 को घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रार्थी अरुण की निशानदेही पर प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त घटना स्थल में आम का पेड़ रोड के किनारे लगा है। उक्त दिनांक को ही घटना स्थल से साक्षियों के समक्ष क्षतिग्रस्त बोलेरो वाहन क्रमांक—एम.पी.50/बी.सी.0556 जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी अरुण एवं दिनांक—29.02.2012 को साक्षी शशि गिरी, जितेन्द्र एवं दिनांक—07.03.2012 को दयाराम के कथन उसके बताये अनुसार लेख किया गया था। दिनांक—28.02.2012 को अशोक वरकडे से उक्त बोलेरो वाहन के दस्तावेज एवं आरोपी के लायसेंस की छायाप्रति साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 अनुसार जप्त किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक—15.03.2012 को आरोपी संजय को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाकर उक्त रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया गया है। आहत की एकसरे रिपोर्ट में फ्रेक्चर होने का उल्लेख होने से आरोपी के विरुद्ध धारा—338 भा. द.वि. का इजाफा किया गया था।

10— उक्त साक्षी ने मामले में की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित करने का प्रयास किया है, किन्तु मामले में प्रस्तुत सभी महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षीगण एवं आहत ने घटना के समय कथित बोलेरो वाहन को आरोपी के द्वारा चलाये जाने के कथन अपनी साक्ष्य में नहीं किये हैं, मात्र जितेन्द्र अ.सा. 2 ने घटना के तत्काल पश्चात् मौके पर पहुंचने पर उसने वाहन चालक की सीट पर आरोपी को घायल अवस्था में बैठे हुये देखे जाने की पुष्टि की है। इस पर बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि स्वयं आहत दयाराम अ.सा.3 ने उक्त दुर्घटना कारित वाहन के स्वामी के रूप में पहचान की है, किन्तु उक्त घटना के समय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त वाहन का चालन किये जाने का तथ्य प्रकट करने से अभियोजन का सम्पूर्ण मामला संदेहास्पद हो जाता है। उक्त तथ्य के आधार पर साक्षी जितेन्द्र अ.सा.2 की साक्ष्य का भी सूक्ष्मता से परिशीलन किया जाये तो यह प्रकट होता है कि इस साक्षी ने भी घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन को आरोपी के द्वारा चालन किये जाने की स्पष्ट साक्ष्य पेश नहीं की है। ऐसी परिस्थिति में मात्र अनुसंधानकर्ता अधिकारी की समर्थनकारी साक्ष्य का महत्व नहीं रह जाता। अभियोजन

ने यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा बोलेरो वाहन को चलाया जा रहा था।

11— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षीगण की साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि घटना के समय कथित बोलेरो वाहन का आरोपी के द्वारा चालन नहीं किया जा रहा था, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा था। इस प्रकार अभियोजन ने उक्त संदेहास्पद परिस्थिति को साक्ष्य में दूर नहीं किया है। अभियोजन के द्वारा अपना मामला आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है।

12— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आरोपी ने दिनांक-25.02.2012 को समय रात 8:00 बजे स्थान ग्राम मझगांव में बेरियर के पास लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-एम. पी. 50/बी.सी.0556 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए, उक्त वाहन को पेड़ से टकरा दिया, जिसमें बैठे आहत दयाराम को घोर उपहति कारित हुई। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

13— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक-एम.पी. 50/बी.सी.0556 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार अशोक पिता अगंदसिंह वरकड़े निवासी उकवा थाना रूपझर तहसील बैहर जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान की गई है, जो अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट